

29/10/24

अधिवक्ता अपीलें उपर अधिवक्ता अपीलें
द्वारा न्यायालय के अन्तर्गत यह निवेदन

किया गया कि अपीलें उक्त प्रार्थना पत्र
को आगे चलाना नही चाहते है। अतः

उक्त प्रार्थना पत्र जरिये नोट-प्रेस खारिज

कराया जावे। अधिवक्ता अपीलें का

निवेदन न्यायडिल में स्वीकार किया जाता है,

एवं उक्त अपील जरिये नोट-प्रेस खारिज

की जाती है। पत्रावली फुलल शुमार बाद

आवश्यक कार्यवाही दायिल पप्त रहे।



Noted
Hed
Acl